बी.ए. प्रथम वर्ष

सत्र 2020-21

द्वितीय प्रश्न-पत्र

भारतीय आर्थिक समस्याएँ

डॉ. तरुण कुमार द्विवेदी

विभागाध्यक्ष- अर्थशास्त्र विभाग

कूबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय दरियापुर नेवादा, आजमगढ़

भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना एवं मूल विशेषताएं

[STRUCTURE AND BASIC FEATURES OF INDIAN ECONOMY]

अर्थव्यवस्था का अर्थ (Meaning of Economy)

अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस कानूनी एवं संस्थागत ढांचे से है जिसके अन्तर्गत देश की आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है।

आर्थिक क्रिया में उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथानिवेश को सम्मिलित किया जाता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय, हमारे देश में कृषि एक प्रमुख उत्पादन क्रिया थी। तदनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को एक कृषि अर्थव्यवस्था से सम्बोधित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात हम धीरेधीरे कषि से उद्योग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उभरती औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति

[NATURE OF INDIAN ECONOMY]

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को निम्न प्रकार रखा जा सकता है

((1) भारतीय अर्थव्यवस्था एक **मिश्रित अर्थव्यवस्था** है, जिसके विकास में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

(2) भारतीय अर्थव्यवस्था एक **प्रगतिशील अर्थव्यवस्था** है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर तीव्र एवं। तकनीकी आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है।

(3) भारतीय अर्थव्यवस्था एक **समतावादी अर्थव्यवस्था** है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करके न्याय के आधार पर समाज की संरचना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए समाज के गरीब एवं पिछडे वर्ग के विकास के लिए विशिष्ट सरकारी प्रयासों, नीतियों एवं वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया है।।

(4) भारतीय अर्थव्यवस्था एक **संघीय (Federal) अर्थव्यवस्था** है, जिसमें आर्थिक उत्तरदायित्वों, अधिकारों क्षेत्रों को केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित करके उनके मध्य समन्वय बनाये रखने की व्यवस्था की है।

(5) भारतीय अर्थव्यवस्था एक **विकासशील अर्थव्यवस्था** है जो अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था की अवस्था से निकल कर विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था एक उभरती (Emerging) अर्थव्यवस्था है जो रूस, चीन, ब्राजील आदि देशों के साथ। मिलाकर विश्व अर्थव्यवस्था एवं राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

(7) भारतीय अर्थव्यवस्था एक **लोचपूर्ण (Resilient) अर्थव्यवस्था** है, जिसमें किसी भी संकट के पश्चात् शीघ्र

भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना

[STRUCTURE OF INDIAN ECONOMY]

अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है, अर्थव्यवस्था का विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में वितरण। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों यथा- कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं अन्य सेवाओं आदि से सम्बद्ध क्रियाओं का संचालन होता है। इन आर्थिक क्रियाओं को आधारभत समानताओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। ये क्षेत्र हैं- **(1) प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector), (2) द्वित्तीयक क्षेत्र (Secondary Sector), तथा (3) तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)**

1. प्राथमिक क्षेत्र या कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र- प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रायः कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध व्यवसायों। यथा- पशुपालन, मछली पालन तथा वानिकी आदि को सम्मिलित किया जाता है। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में प्राकृतिक साधनों पर आधारभूत क्रियाएं होती हैं।

2. द्वितीयक अथवा उद्योग क्षेत्र- अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग, निर्माण, गैस तथा विद्युत उत्पादन । को सम्मिलित किया जाता है।

3. तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र- इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं के संचालन में सहायता करता है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल, परिवहन, संचार बीमा बैंकिंग स्थावर सम्पदा तथा कारोबारी सेवाओं व लोक प्रशासन आदि को सम्मिलित किया जाता है।।

प्राथमिक क्षेत्र या कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा विकास की कंजी है। यह देश की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा स्त्रोत, रोजगार एवं जीवनयापन का प्रमुख साधन, औद्योगिक विकास वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार का आधार है। देश की विभिन्न योजनाओं की सफलता यहां तक कि राजनीतिक स्थायित्व भी कषि क्षेत्र की प्रगति । पर निर्भर करता है।

विकास के सहवर्ती के रूप में, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 में स्थिर कीमतों (2011-12) पर 17.4% है। देश के कुल रोजगार का 48.9% भाग कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में नियोजित है।

द्वित्तीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसी क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास के लिए उस देश में औद्योगीकरण। की प्रगति को तीव्र करना आवश्यक होता है। स्वतंत्रता के पश्चात् नियोजित आर्थिक विकास के फलस्वरूप देश ने औद्योगिक विकास में काफी प्रगति की है। आज भारत विश्व के

प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। वर्ष 1950-51 में देश के सकल । घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 16.6% था जो क्रमशः बढ़ते हुए वर्तमान 2015-16 में 27.13% हो गया है।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)- तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वर्तमान (2015-16) में 53.3% है तथा देश के कुल रोजगार में इस क्षेत्र का हिस्सा 26.9% है। सेवा क्षेत्र ने विगत कुछ वर्षों में तीव्र प्रगति की है और अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े और उभरते क्षेत्र के रूप में सामने आया है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 1999-2000 में 50.0% था जो बढ़कर वर्ष 201516में 53.3% हो गया। यह देश के सेवा क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास को प्रकट करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएँ

1. **कृषि की प्रधानता-** भारत में अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ कार्यशील जनसंख्या का 48.9 प्रतिशत भाग सक्रिय रूप से कृषि में (जबकि ब्रिटेन में 2.2 प्रतिशत, अमेरिका में 1.7 प्रतिशत, कनाडा में 2.41 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी है) तथा शेष 51.1 प्रतिशत उद्योगों व सेवाओं में लगा हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का अंशदान स्थिर कीमतों पर लगभग 17.4 प्रतिशत है। भारत के महत्वपूर्ण उद्योगों- सूतीवस्त्र, जूट, चीनी, वनस्पति । तथा अन्य उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या के लिए खाद्यान्न पर्ति का दायित्व कषि क्षेत्र पर ही है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 12.7 प्रतिशत भाग कृषि-उत्पादित पदार्थ अथवा कृषि पदार्थों द्वारा निर्मित वस्तुएँ । होती हैं, यद्यपि राष्ट्रीय आय में कृषि-क्षेत्र के योगदान में क्रमशः कमी आती जा रही है परन्तु अभी भी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण एवं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है।

2. प्रति व्यक्ति निम्न आय- प्रति व्यक्ति आय का नियम स्तर अल्पविकसित देशों की एक प्रमख विशेषता है। भारत में भी प्रति व्यक्ति आय का स्तर अपेक्षाकृत बहुत निम्न है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1340 डालर है। भारत की तुलना में अमेरिका की प्रात व्यक्ति आय 47140 डॉलर है।

विश्व के अन्य अल्पविकसित देशों की ही भाँति भारत में भी पंजी निर्माण की दर नीची है। यक्ति आय कम होने के कारण यहाँ वचत एवं विनियोग का स्तर नीचा है जिसके परिणामस्वरूप पंजी निर्माण की दर नीची रहती। है। भारत में सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू पूंजी निर्माण में 1950-51 से अब तक क्रमशः वृद्धि होती गयी है। वर्ष 2014१९ में देश में सकल घरेलू बचत और पूंजी निर्माण की दरें क्रमशः 33.0 प्रतिशत तथा 34.2 प्रतिशत रहीं।

यहाँ न केवल अशिक्षित व्यक्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी है, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में भी उत्तरोत्तर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। समाज की समस्त समस्याओं का मूल कारण वेरोजगारी है जिसका स्रोत भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्प विकास एवं पिछड़ापन है। अनुमान है कि भारत में लगभग 5 करोड व्यक्ति बेरोजगार हैं। इस संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख लोगों की वृद्धि हो जाती है।

5. आर्थिक विषमता- भारतीय समाज में आर्थिक विषमता व्याप्त है। नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया में यहाँ गरीब, अधिक गरीब तथा अमीर अधिक अमीर होते गए। राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अधिकांश भाग उस वर्ग को प्राप्त हआ जो पहले से ही सशक्त और सम्पन्न था। महालनोविस समिति के अनुसार, "शहरों में 5 प्रतिशत व्यक्तियों के पास कुल शहरी सम्पत्ति का 52 प्रतिशत केन्द्रित है, जबकि 20 प्रतिशत व्यक्तियों के पास कोई सम्पत्ति नहीं है। इस प्रकार भारत के 50 प्रतिशत व्यक्तियों को कुल आय का केवल 22 प्रतिशत ही प्राप्त होता है।

एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में 25.7% तथा नगरीय क्षेत्रों में लगभग 13.7% लोग ऐसे हैं जिन्हें आवश्यक मात्रा में कैलोरीज नहीं मिल पाती है।

भारत में गरीबी व्याप्त है तथा प्रति व्यक्ति आय कम है जिससे यहाँ बचत, पूँजी निर्माण, विनियोग कम है। कम विनियोग होने से उत्पादन कम होता है जिससे रोजगार एवं आय कम होती है और यह क्रम चलता रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी का अभाव कृषि में। तकनीकी सुधार को बाधित करता है जिससे वहाँ उत्पादन एवं उत्पादकता यथास्थिर बनी रहती है

7. तकनीकी पिछड़ापन- तकनीकी पिछड़ापन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। भारत में अधिकतर उत्पादन इकाइयों में उत्पादन की जिन विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वे आधुनिक दृष्टि से पुराने तथा निम्न कोटि के हैं।

जनाधिक्य भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। 1951 में भारत की कुल जनसंख्या। 36 करोड़ थी जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गयी है। भारत में सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत भाग निवास करता है जबकि इसके पास विश्व के कल स्थल क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत भाग ही है। इसका मुख्य कारण यहाँ जन्म दर एवं मृत्य दर के बीच बढ़ती जा रही दूरी है। भारत में वर्तमान समय में जन्म दर 21.4 प्रति हजार, मृत्यु दर 7.0 प्रति हजार तथा वार्षिक वृद्धि दर 1.64 प्रतिशत है जबकि पश्चिमी यरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप तथा ब्रिटेन में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 0.6 प्रतिशत, 1.0 प्रतिशत, 0.2 प्रतिशत तथा 0.2 प्रतिशत है।

9. सम्पन्नता में दरिद्रता- भारत में अपार बहमूल्य प्राकृतिक सम्पदा एवं जलशक्ति विद्यमान है परन्त उपललिमिन प्राकृतिक संसाधनों का उचित एवं पर्याप्त विदोहन नहीं हो पा रहा है, भारत में खनिज सम्पदा, जनशक्ति, उर्जा संसाधन तथा जनशकि आदि का पर्याप्त मात्रा में वांछित उपयोग नहीं हो पा रहा है। कई प्राकृतिक संसाधना का पयाप्त सर्वेक्षण भी नहीं किया जा सका है। संसाधनों का उपयोग न होने के कारण ही अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी व्याप्त ह तथा वस्तुआ एवं सेवाओं का अभाव बना रहता है। देश मानवीय संसाधनों का अभाव नहीं बल्कि उनका अल्प विदोहन है। अतः यह कहा जाता। में व्याप्त गरीवी का प्रमुख कारण प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधना का अभाव ' है कि भारत में सम्पन्नता के मध्य दरिद्रता की स्थिति विद्यमान हैं।

10. निर्बल आर्थिक ढाँचा- भारत का आर्थिक संगठन निर्बल है, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वितीय अर्थशास्त्र विकास कम हआ है। भारत में आबादी का 68.8 प्रतिशत भाग गाँवों में रहता है परन्तु वहाँ बचतों को प्रोत्साहित करने वाली विनीय। संस्थाओं का विकास कम हआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी साहकारों, महाजनों तथा शोषणकर्ताओं का वर्चस्व कायम है। यहाँ किसानों। की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने, उनको बचत तथा विनियोग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बनी हुई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत सन 1969 से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का तेजी से विस्तार हुआ है फिर भी जनसंख्या को देखते हुए अभी बहुत कुछ करना शेष है।

11. आधारभूत संरचना का अभाव- किसी देश की प्रगति वहां विकसित आधारभूत संरचना पर निर्भर करती है। आधारभूत संरचना व विकास से तात्पर्य है- ऊर्जा एवं शक्ति, सड़क, रेल, जल एवं वाय परिवहन, बैंकिंग, बीमा व वित्तीय संस्थाओं तथा संचार की सुविधाएँ, आदि का विकास। पर्याप्त आधारभूत संरचना का विकास न होना भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में बाधक है। भारत में अब तक आधारभूत संरचना का जो विकास हुआ है, वह पर्याप्त नहीं है।

ख. नवीन विशेषताएँ

कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, नए-नए उद्योगों की स्थापना हुई, उत्पादन की नई-नई तकनीकों को अपनाया गया. पुराने उद्योगों का परिमार्जन हुआ जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हुई, सामाजिक चिंतन की दिशा में कुछ बदलाव परिलक्षित होने लगा है। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ है, औद्योगिक, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास हुआ है, प्रति व्यक्ति आय, बचत और पूंजी निर्माण में क्रमशः वृद्धि हुई है तथा देश समाजवादी समाज की स्थापना की ओर अग्रसर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताएँ संक्षेप में निम्नवत हैं

1. नियोजित आर्थिक विकास- स्वतंत्रता के पश्चात् तीव्र गति से आर्थिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु भारत में आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाया गया। यह नियोजन एक अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं, छः वार्षिक योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रगति पर है। इस प्रकार यहाँ नियोजन के 65 वर्ष पूरे हो चुके हैं जिससे देश का पर्याप्त विकास हुआ है।

2.सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व- 1950-51 में भारत में 5 सार्वजनिक उपक्रम थे जिसमें 29 करोड़ की पूंजी विनियोजित थी जबकि वर्तमान समय में इनकी संख्या 298 है तथा इनमें विनियोजित पूंजी बढ़कर 1096057 करोड़ रुपए हो गयी है, इन सार्वजनिक उपक्रमों में। रसायन उद्योग, कोयला, सीमेन्ट, इन्जीनियरिंग उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग तथा अनेक उपभोक्ता एवं पूंजीगत उद्योग सम्मिलित हैं।

3. पर्याप्त औद्योगिक विकास- यद्यपि आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है परन्त औद्योगिक क्षेत्र में भी देश में काफी प्रगति हुई है। देश में पूंजीगत एवं आधारभूत उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है, नवीन उद्योगों की स्थापना हुई है। औद्योगिक उत्पादन। एवं औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि हुई है। प्रथम योजना में 7.3 %, द्वितीय योजना में 6.6 %, ततीय योजना में 9% चतुर्थ योजना। में 4.7% पाँचवी योजना में 5.9%, छठी योजना में 5.8%, सातवीं योजना में 8.2%, आठवीं योजना में 7.3% तथा नौवीं योजना। में 50% औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। दसवीं योजना के दौरान (2002-07) देश में उद्योगों की औसत वद्धि दर 8.2% तथा ग्यागहवीं योजना में 6.6% रही। यह वृद्धि दर 2013-14 में 5%, 2014-15 में 5.9% तथा 2015-16 में 7.3% रहा

4 बैंकिंग सुविधाओं का विकास- देश में बैंकिंग सुविधाओं में लगातार बढोत्तरी हुई है। जन 1969 को भारत, व्यापारिक बैंकों की कुल 8,262 शाखाएँ थीं जो 30 जून, 2015 को बढ़कर 131750 हो गयीं। इसीतरह जन 1969 म 15000 जनसंख्या के पीछ एक बक था जबकि वर्तमान में लगभग 15000 जनसंख्या के पीछे एक बैंक शाखा कार्य कर रही|

5.प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि- देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय उत्पादन कम है। 2011-12 में वर्तमान कीमतों के आधार पर 1950-51 में प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय उत्पाद 2015-16 में बढ़कर 93231 रु0 हो गया है।

6.बचत एवं पूंजी-निर्माण की दरों में वृद्धि- भारत में सकल घरेलू बचतों तथा सकल घरेलु पुंजी-निर्माण की दरों में लगातार वद्धि हो रही है। वर्ष 1950-51 में राष्ट्रीय आय का 8.9 प्रतिशत बचाया गया था जबकि 2014-15 में सकल घरेल बचत। की दर 33.0 % रही। इसी तरह, पूंजी निर्माण की दर 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद की 8.4 प्रतिशत थी जो 2014-15 में 34.2 प्रतिशत हो गयी।

7.नवीन एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना-औद्योगीकरण के प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए देश में प्रचुर मात्रा में नवीन तथा भारी उद्योगों की स्थापना हुई है। जिन वस्तुओं एवं पूंजीगत उपकरणों का पहले आयात किया जाता था, वे अब देश में ही बनने लगी हैं। रेल के इंजन, मोटर-गाड़ियाँ, हवाई जहाज, पनडुब्बियाँ, अनेक भारी मशीन, रसायन तथा कम्प्यूटर-साफ्टवेयर आदि का निर्माण अब देश में ही होने लगा है। अंतरिक्ष विज्ञान के सम्बन्ध में भारत आज अग्रणी देशों में है।

8. सामाजिक उपरिव्यय पूंजी (Social Overhead Capital) का विस्तार- सामाजिक उपरिव्य पूंजी में सामान्यतया परिवहन के साधन, सिंचाई की सुविधाएँ, ऊर्जा का उत्पादन करने वाली इकाइयां, शिक्षा

संस्थाएँ तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। इनके विकास से संवृद्धि तथा मनुष्य के अच्छे ढंग से रहन-सहन के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती हैं। योजनाकाल में भारत में इन सुविधाओं का विकास हुआ है। रेल लाइनों तथा रेलों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। सड़कों का तीव्र । गति से विकास हआ है। इनकी कुल लम्बाई 52.31 लाख कि.मी. से अधिक हो गई है। बिजली की उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि हो। गयी। इसीतरह देश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यहां 1950-51 में सिंचाई संभाव्य 2.26 करोड़ हेक्टेयर था जो दसवीं योजना के अंत तक बढ़कर 10.28 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया। ।

9.सामाजिक सेवाओं का विस्तार- भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का पर्याप्त विकास हआ है। शोध एवं तकनीकी शिक्षा में प्रगति हुई है। साक्षरता का स्तर बढ़ा है। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रौद्योगिकीय शिक्षा के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। अब देश में प्रशिक्षित श्रमिकों, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, अनुसन्धानकर्ताओं एवं प्रबन्धकों की कमी नहीं है। यहां के विशेषज्ञता प्राप्त लोग विदेशों में भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

10. सामाजिक परिवर्तन- देश में हो रहे विकास के फलस्वरुप यहां सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। रूढ़वादिता, जाति-प्रथा, बाल-विवाह तथा छुआछूत जैसी बुराइयां कम हुई हैं। सामाजिक राजनैतिकता तथा आर्थिक क्रियाकलापों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। महिलाओं में शिक्षा एवं ज्ञान का स्तर बढ़ा है।

12. गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने के उपाय- देश में गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना.। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, आदि। इससे देश में गरीबी अनुपात घटा है।

(अ) इलेक्टानिक्स एवं कम्यटर प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास- विगत वर्षों में भारत में इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर का विकास हआ है। देश में कम्प्यटर के उपकरणों के उत्पादन, उपयोग एव निर्यात में वृद्धि हई। इससे देश में तकनीकी विकास हुए हैं। देश में लगभग करोड़ों लोगों से अधिक लोग इण्टरनेट से जुड़ गए हैं।

(द) विदेशी पूंजी का प्रवाह- आर्थिक उदारीकरण नीति को अंगीकार करने से देश में विदेशी पूंजी का अन्तर्ग्रवाह बढ़ा है।। मार्च, 2015 के अंत में भारत का विदेशी विनिमय कोष 350.3 विलियन डॉलर था।

विगत वर्षों में भारत के विदेशी ऋण सूचकों में सुधार हो रहा है। भारत को विदेशी ऋण वर्ष 1994-95 में स. घ. उ. का। 30.8 प्रतिशत था जो घटकर 2014-15 में 23.7 प्रतिशत हो गया। विगत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 1.7 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ गया है।

भारत एक धनी देश है, परन्तु यहाँ के निवासी निर्धन हैं।

(INDIA IS A RICH COUNTRY INHABITED BY THE POOR)

भारत एक धनी देश है (India ia a rich country)

प्राचीन काल से ही भारत की गणना एक धनी देश के रूप में होती रही है। प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों की पर्याप्त मात्रा म उपलब्धता के आधार पर इस देश को 'सोने का चिड़िया' कहा जाता था। भारत विश्व के उन कतिपय देशों में से एक है जिन पर प्रकृति का वहद वरदहस्त रहा है। इसका क्षेत्रफल व्यापक है तथा यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवाय पायी जाती है। वन सम्पदा तथा शक्ति के प्रचर साधन यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अपनी प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण भारत को 'उपमहाद्वाप कनासे सम्बोधित किया जाता है। विविधता में एकता की सांस्कृतिक विरासत को अपने में संजोये भारत की धनाढ्यता के सम्बन्ध में नि: तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं

1.भौगोलिक स्थिति- भारत की भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सरक्षा की दणि सेव स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सुरक्षा की दृष्टि से बहत अच्छी है। भारत 32.87 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल वाला एक विशाल देश है। यह विश्व का सातवा बड़ा देश है जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत हा के किसी भी देश की प्राकृतिक सामाए इतनी सुन्दर नहीं है जितनी भारत की हैं। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा नेपाल देशहादा में पूरब में बांगलादेश तथा म्यानमार देश हैं तथा इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक 11 बाबाई 3214 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम तक की लम्बाई 2933 कि.मी. है। हिन्द महासागर पर स्थित होने के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों से जुड़ा है। वायु मार्ग की दृष्टि से भी भारत की भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से उत्तम है।)

सुखद एवं उत्तम जलवायु- मार्सडेन ने इंगित किया है कि, "विश्व की समस्त जलवाय भारत में उपलब्ध है।" इसी बात को स्पष्ट करते हु ए ब्लैण्ड फोर्ड ने लिखा है कि, "जितनी विभिन्नता भारत की जलवायु में पाई जाती है, उतनी विश्व के किसी अन्य देश में नहीं।" यहाँ उत्तरी भारत में। जलवाय गर्मियों में गर्म तथा सर्दियों में ठण्डी रहती है जबकि दक्षिणी भारत में तापमान प्रायः ऊँचा रहता है और सर्दी कम पड़ती है। सपद के किनारे वाले प्रदेशों में जलवायु समशीतोष्ण रहती है। सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त समस्त 6 ऋतएँ वर्षा, शिशिर, हेमंत, शरद, बसंत । तथा ग्रीष्म ऋतुएँ भारत में पाई जाती हैं जिससे देश प्राकृतिक सम्पदा से परिपूर्ण है।

3.विशाल उपजाऊ मैदान- भारत में कृषि की दृष्टि से उपयोगी विशाल उपजाऊ मैदान हैं। यहाँ अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए सर्वोत्तम हैं। उत्तर-प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल । एवं असम में दोमट मिट्टी पायी जाती है जो गेहूँ, धान, गन्ना, कपास, पटसन तथा तम्बाकू आदि के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाने वाली काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है तो । उड़ीसा, असम तथा दक्षिणी महाराष्ट्र में पाई जाने वाली लैटराइट मिट्टी चाय तथा काफी के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

4. खनिज संसाधन- खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत काफी समृद्ध है। आधुनिक औद्योगिक प्रगति के आधार लोहा एवं कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अभ्रक के निष्कासन में भारत को विश्व में प्रथम तथा मैगनीज खनन में तीसरा स्थान प्राप्त है। अणुशक्ति के लिए उपयोगी यूरेनियम तथा थोरियम आदि यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भारत में सोना-चाँदी, ताँबा, चूना-पत्थर, जिप्सम तथा बाक्साइट के भी पर्याप्त भण्डार मौजूद हैं।

5. वन-सम्पदा- भारत वन-सम्पदा की दृष्टि से भी धनी है। वर्तमान समय में भारत में देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 21.34 प्रतिशत क्षेत्र में वन-सम्पदा है जिसका क्षेत्रफल 701.7 लाख हेक्टेअर है। इस वन-सम्पदा से अनेक उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है जैसे- कागज, माचिस, शहद, प्लाईवुड, फर्नीचर, पेण्ट्स, वारनिश तथा औषधि आदि।

6. जल-भण्डार- भारत में जल के विपुल स्रोत हैं। यहाँ बारहमासी बहने वाली नदियाँ हैं जिनमें अपार जल है। इस जल को। रोककर फसलों की सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के काम में लाया जा सकता है। इस सम्बंध में किए गए प्रयास से भारत में सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हुई है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि से औद्योगीकरण में सहायता मिली है।

7.विशाल शक्ति-साधन- भारत में शक्ति के साधन यथा- पेट्रोलियम, गैस, कोयला, लकड़ी तथा अणुशक्ति आदि भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अणशक्ति के लिए उपयोगी खनिज उपलब्ध हैं तथा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डार पाये गए हैं और उनके उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है तथा नए-नए स्थानों पर पेट्रोलियम पदार्थों की खोज जारी है। देश में कच्चे तेल का उत्पादन 1990-91 में 31.9 मिलियन टन था जो बढ़कर 2014-15 में 38.76 मिलियन टन हो गया। देश में कोयले का कल भण्डार लगभग 301.56 अरब टन है। इनके सदपयोग से देश समृद्धि के शिखर पर पहुँचसकता है।

भारतवासी निर्धन हैं (Inhabitants are Poor)

भारत में प्राकतिक एवं मानवीय संसाधनों की प्रचरता के बावजूद इनका समुचित एवं पर्याप्त विदोहन नहीं हुआ है। आज भी । जनक महत्वपर्ण संसाधन या तो अछते पडे हैं या फिर उनका अल्प उपयोग हा किया जा सका है। यही कारण है कि भारत आज भी।

अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है तथा यहाँ के निवासी निर्धन हैं। भारतीयों की निर्धनता का अनुमान निम्न तथ्यों पर आधारित है

भारत में अधिकांश जनता का जीवन-स्तर-नीचा है तथा यहाँ की लगभग 26.9 करोड़ जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है जिसे पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज उपलब्ध नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी निम्न है। देश में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है तथा यहाँ आश्रितता-

अनुपात (Dependency ratio) बहुत अधिक है। देश में व्यापक बराजगारी, अल्पबेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान है। यहाँ उत्पादन के परम्परावादी साधनों का प्रयोग जारी है, शिक्षा तथा तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्न है। आर्थिक विषमता विद्यमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी मूलतः ग्रामीण एवं कृषि प्रधान है। यहां पूंजी की कमी तथा पूंजी निर्माण की दर नीची है। परिवहन तथा संचार सविधाओं की कमी है। देश में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा देश पर अरबों रूपये का विदेशी कर्ज है। यहाँ विकास के लिए आवश्यक संस्थाएँ अपर्याप्त तथा अविकसित हैं तथा मानव पूंजी की किस्म घटिया है। इसतरह, देश में व्याप्त गरीबी का मुख्य कारण प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अल्प विदोहन है। स्पष्टतया भारत में सम्पन्नता के मध्य दरिद्रता की स्थिति विद्यमान है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत एक निर्धन देश है। यह संतोष का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में आर्थिक विकास के लिए नियोजन की नीति अपनायी गयी है जिससे साधनों का विदोहन निरंतर जारी है। यहाँ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त साधन जुटा लिए गए हैं। देश में शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है। नए-नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ औद्योगीकरण तथा शहरीकरण में वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन-स्तर में क्रमशः सुधार होता जा रहा है। देश के आर्थिक विकास में बाधक सामाजिक परम्पराएँ तथा रूढ़ियाँ धीरे-धीरे टूटती जा रही हैं। यह सब बातें इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि निरंतर आर्थिक प्रगति के पथ पर बढ़ते कदम से एक दिन भारत आर्थिक विकास के शिखर पर पहुँच सकेगा और उसकी गिनती एक धनी देश के रूप में होने लगेगी और भारतवासी पुनः एक धनी देश के निवासी कहलाएंगे।

******

2

प्राकृतिक संसाधन : भूमि, जल, वन एवं खनिज

[NATURAL RESOURCES: LAND, WATER, FOREST AND MINERALS]

प्राकृतिक संसाधनों से अभिप्राय उन समस्त भौतिक अथवा नैसर्गिक संसाधनों से है जो प्रकृति की ओर से किसी देश को उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं, जैसे- भूमि एवं मिट्टी की बनावट, खनिज पदार्थ, वन एवं जल सम्पदा, वर्षा, जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति आदि। यह प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास अथवा अल्प विकास की व्याख्या उनमें उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर किया है। इसीतरह डब्लयू. ए. लुइस (W.A. Lewis) का मत है कि किसी भी देश के विकास का स्तर तथा स्वरूप उस देश के संसाधनों द्वारा सीमित होते हैं।

इस तरह, प्राकृतिक साधन एक देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। एक देश की जलवायु, उसकी वनस्पति, खेतों की पैदावार, वहाँ के निवासियों की आवश्यकताएँ, उनका व्यवसाय, रहन-सहन, कार्यक्षमता, आदि बहुतसी बातें उस देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती हैं। एक देश के धरातल एवं जलमार्गों पर परिवहन के साधनों का विकास निर्भर होता है। भूमि और वनों का भी आर्थिक विकास में महत्व कम नहीं है। भूमि व मिट्टी की विविधता विविध उत्पादन में सहायक होती है। वनों से बहुत लाभ मिलते हैं। वनों से ईंधन, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, रबड़, जड़ी-बूटियाँ, आदि अनेक वस्तुएं मिलती हैं। वनों से जलवायु समशीतोष्ण हो जाती है व भूमि का कटाव रुक जाता है। पशुओं को चारा मिल जाता है।

भूमि संसाधन

(LAND RESOURCES)

प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सबसे महत्वपूर्ण है। यहां मानव व अनेक जीवजन्तु निवास करते हैं। कृषि भूमि पर ही होती है। कारखाने भूमि पर ही स्थापित होते हैं। सड़कें, रेल, जलाशय व नदी आदि भी भूमि पर ही बनाई जाती हैं। वन सम्पदा भी भूमि पर ही पाई जाती है।

भारत में भूमि का क्षेत्रफल 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर है जिस पर भारत की 121.02 करोड जनसंख्या निवास करती है। भारत के पास विश्व क्षेत्रफल का केवल 2.4 प्रतिशत क्षेत्र है। जिस पर विश्व जनसंख्या की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। वैसे भारत का स्थान, भूमि के क्षेत्रफल की द्रष्टि से विश्व में सातवां है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। 6 देश इससे बड़े हैं जो क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील व आस्ट्रेलिया हैं।

भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें से 306.1 मिलियन हेक्टेअर भूमि के ही आंकडे उपलब्ध हैं जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है : इस प्रकार भारत में 306.1 मिलियन हेक्टेअर भूमि में से केवल 141.2 मिलियन हेक्टेअर भूमि पर ही खेती की जा रही है। जो कुल ज्ञात स्रोतों मिलियन हेक्टेअर की 46 प्रतिशत बैठती है।

अतः भारत में 46 प्रतिशत भूमि पर ही खेती होती है। शेष भूमि रहने व सड़कें बनाने आदि के काम में आ रही है।

योजना काल में कृषि के अधीन भूमि में वृद्धि हुई है। 1950-51 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र (Net Area sown) 118.8 लाख हेक्टेअर था जो बढ़कर वर्तमान में 141.2 लाख हेक्टेअर हो गया है। इस अवधि में सिंचाई सुविधाएं भी बढ़ी हैं जिसमें भूमि के प्रति आकर्षण में वृद्धि हुयी है| लेकिन चूकि भूमि की मात्र सिमित ही है अतः भूमि पर एक से अधिक फसलें लेने का प्रयास किया जा रहा है|

जल संसाधन

(WATER RESOURCES)

जल संसाधन से अर्थ भूमिगत जल (Ground Water) व भूतल जल (Surface Water) से है। यह दोनों ही प्रकृति की देन हैं। भूमिगत जल से अर्थ भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल से है जो कुओं व ट्यूबवैलों के माध्यम से निकाला जाता है और काम में लिया जाता है। भूतल जल से अर्थ भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल से है जो नदियों, नहरों व तालाबों, आदि में पाया जाता है।

जल संसाधनों का मुख्य स्रोत वर्षा है जिससे प्रति वर्ष 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर जल प्राप्त होता है, लेकिन इसमें से 1,869 बी. सी. एम. जल ही नदियों को मिल पाता है और शेष जल या तो भूमि सोख लेती है या फिर उड़ जाता है। इसमें से केवल 600 बी. सी. एम. जल का ही उपयोग हो पाता है।

भारत में जल संसाधन के साधन

भारत में जल संसाधन के निम्न चार साधन माने जाते हैं : ।

(I) कुएँ एवं नलकूप, (II) तालाब, (III) नहरें, (IV) बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजनाएँ। अब हम एक-एक करके इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे

(1) कुएँ एवं नलकूप (Wells & Tube-wells)

भारत में पानी के लिए कुओं का उपयोग अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है और यह साधन आज भी महत्वपूर्ण है। यह कएँ दो प्रकार के होते हैं—कच्चे कुएँ एवं पक्के कुएँ। भारत में कच्चे कुओं की संख्या पक्के कुओं से अधिक है। पक्के कुएँ दो प्रकार के होते हैं—(i) साधारण पक्के कुएँ जिनमें चरखी या रहट लगाकर पानी निकाला जाता है एवं (ii) नलकूप जिनमें बिजली या डीजल पम्पों की सहायता से पानी निकाला जाता है। इन नलकूपों को ट्यूबवैल भी कहते हैं।

किसानों के लिए कओं द्वारा सिंचाई उपयोगी रहती है, क्योंकि कुएँ के पानी में बहु त्से रसायन पदार्थ हति है जो भमि की उर्वरा शक्ति में वद्धि करते हैं। इन पदार्थों में क्लोराइड, सोडा, नाइट्रेट व सल्फेट प्रमुख हैं।।

इस समय देश में लगभग 87 लाख कुएँ हैं जो कुल सिंचित क्षेत्र के 30.9 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई करते है। कुओं से गुजरात के कल सिंचित क्षेत्र का 73 प्रतिशत, महाराष्ट्र का 60 प्रतिशत, राजस्थान का 49 प्रतिशत व मध्य प्रदेश का 37 प्रतिशत सींचा जाता है। देश में कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र का लगभग आधा भाग इन चार राज्यों में स्थित है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कुओं से 23.2 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई होती है। दक्षिणी चार राज्य आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक व केरल का कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत क्रमशः 6, 11.3 व् 4 है। उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में कुल सिंचित क्षेत्र का 26.2 प्रतिशत भाग स्थित है। पंजाब, उड़ीसा व हरियाणा में भी कुओं से सिंचाई होती है।

नलकूप या ट्यूबवैल यह नवीन साधन है। इसमें भूमि के तल से बिजली की मोटर की सहायता से पानी निकाला जाता है। यह नलकूप 30 फीट से लेकर 400 फीट तक गहरे होते हैं तथा इनसे अधिक समय तक और अधिक मात्रा में जल मिलता है। विगत वर्षों में नलकूपों या ट्यूबवैलों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हु ईहै। 1950-51 में 2,500 सरकारी नलकूप थे, लेकिन आज 1 करोड़ 27 लाख 67 हजार से अधिक विद्युत् से चलने वाले व 52 लाख से अधिक डीजल व मिट्टी के तेल, आदि से चलने वाले पम्प सेट हैं।

इस समय ट्यूबवैल लगभग 33.3 मिलियन हेक्टेअर भूमि की सिंचाई कर रहे हैं जो कूल सिंचित क्षेत्र का 60.9 प्रतिशत है।

(II) तालाब (Tanks) –

तालाबों से आशय उन गड्ढों से है जो या तो मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाये गये हैं या प्रकृति के द्वारा ही उनको गड्ढों के रूप में प्रदान किया गया है, जिसमें वर्षा के मौसम में वर्षा का पानी भर जाता है। तालाबों का आकार छोटे नालों या पोखरों से लेकर बड़ी-बड़ी झीलों तक विभिन्न प्रकार का होता है। इस प्रकार तालाब दो प्रकार के होते हैं—एक तो कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाये जाते हैं और दूसरे प्राकृतिक जो प्रकति की देन होते हैं। कृत्रिम तालाब कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के बनाये जा सकते हैं। सामान्यतया यह तालाब सतह के नीचे होते हैं, लेकिन उनको सतह के ऊपर भी बनाया जा सकता है।

दक्षिणी भारत में तालाब सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। तालाबों द्वारा सिंचाई करने वाले राज्यों में तमिलनाडु, आन्ध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं। भारत में कल सिंचित क्षेत्र का 4.6 प्रतिशत तालाबों से ही सींचा जाता है।

नहरें (Canals) भारत में नहरों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा देश में लगभग 16.0 मिलियन हेक्टेअर भूमि की सिंचाई की जाती है जो कल सिंचित क्षेत्र का 29.3 प्रतिशत है। इस समय देश

में 1.5 लाख किलोमीटर लम्बी नहरें हैं जिनमें लगभग 250 करोड़ रुपये पूँजी लगी हुईहै। विश्व के किसी भी देश में इतनी लम्बी नहर प्रणाली नहीं है।

बहु-उद्देशीय नदी-घाटी योजनाएँ (Multipurpose River-Valley Projects)

- बहु-उद्देशीय नदी-घाटी योजना से अर्थ नदी की घाटी में उपलब्ध सभी योग्य सुविधाओं का पूर्ण रूप से। उपयोग करने से है। चूंकि यह उपयोग किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं किया जाता, बल्कि बहुत्से उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। अतः इनको बहु-उद्देशीय (Multi-purpose) कहते हैं। एक बह-उद्देशीय नदी-घाटी योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार होते हैं—(1) नदियों पर बाँध बनाकर नहरें बनाना जिससे कि सिंचाई। सुविधाओं में वृद्धि हो सके; (2) बाढ़ नियन्त्रण किया जा सके; (3) भूमि का कटाव नियन्त्रित किया जा सके; (4) नहरों को परिवहन साधन के रूप में विकसित किया जा सके; (5) शहरों व ग्रामों को पीने का पानी उपलब्ध किया जा सके: (6) बड़े-बड़े जलाशयों व झीलों में मछली पालन कार्यक्रम का विकास किया। जा सके; (7) नहरों व जलाशयों के आस-पास पर्यटन स्थल बनाये जा सकें व (8) नदियों व जलाशयों का पानी गिराकर बिजली बनायी जा सके जिससे शहरों व गाँवों में विद्युतीकरण हो सके तथा उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध हो सके।

बह-उद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं का महत्व निम्न प्रकार है; इसी को नदी-घाटी योजनाओं के लाभ के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है

1) सिंचाई सुविधाओं में सुधार बहु-उद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि है। इससे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप मानसून पर निर्भरता में कमी साहित्य भवन पब्लिकेशन्स होती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तथा खाद्य समस्या हल होती है। भारत में कुल मिलाकर लगभग 110 नदिया है जिनमें कुछ बड़ी बारहमासी हैं। अतः इनका विकास बह-उद्देशीय योजनाओं के अन्तर्गत किया। जाना चाहिए। वर्तमान में जो योजनाएँ चल रही हैं उनके पूरे होने पर देश की 10 करोड़ एकड़ भूमि सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेगी।

(2) भूमि क्षरण एवं बाढ़ नियन्त्रण देश में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इनमें कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र व महानदी प्रमुख हैं। इसके परिणामस्वरूप जन-धन की हानि के साथ फसलों की भी हानि होती है। इन नदी-घाटी योजनाओं से इस पर नियन्त्रण रखा जा सकता है और भूमि क्षरण को रोका जा सकता है।

(3) आन्तरिक जल परिवहन का विकास—इन योजनाओं से देश के अन्दर नहरों का जाल बिछाकर जल परिवहन का विकास किया जा सकता है जो अन्य साधनों से अच्छा पड़ता है।

(4) जल-विद्युत शक्ति का विकास नदी-घाटी योजनाओं को लागू कर जल-विद्युत् का विकास किया जा सकता है जिसकी प्रति यूनिट लागत बहुतही सस्ती पड़ती है। जल-विद्युत् के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से उद्योगों का विकास किया जा सकता है।

(5) रोजगार वृद्धि बहु-उद्देशीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई, नहरों के निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, बाँध व जलाशय निर्माण, मत्स्य पालन, विद्युत् निर्माण, औद्योगीकरण, आदि होने से लाखों व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिल जाता है। इस प्रकार रोजगार सुविधाओं में वृद्धि होती है।

(6) पर्यटकों को बढ़ावा बहु-उद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं के अन्तर्गत नदियों, नहरों व जलाशयों के आस-पास सुन्दर व मनोरंजक स्थान बनाये जाते हैं जिससे पर्यटकों को आकर्षण होता है और इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इससे विदेशी विनिमय की आय में वृद्धि होती है।

(7) पेय जल की पूर्ति—इन योजनाओं के अन्तर्गत बड़े-बड़े जलाशय व बाँध बनाये जाते हैं जिनमें काफी मात्रा में पानी रहता है। इस पानी को शहरी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को पीने के लिए उपलब्ध किया जा सकता है।

(8) मत्स्य-पालन उद्योग इसके अन्तर्गत बने जलाशयों में मत्स्य-पालन के उद्योग का विकास किया जा सकता है और इस प्रकार यह योजनाएँ इस उद्देश्य से भी लाभकारी हो सकती हैं।

(9) उद्योग एवं व्यापार का विकास—बहु-उद्देशीय योजनाओं से उद्योगों का विकास होता है। नये-नये उद्योग स्थापित होते हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ने से उन्हें कच्चा माल मिल जाता है। साथ ही विद्यत का भी विकास होने से उन्हें विद्युत मिल जाती है। इन सबसे व्यापार की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। जिससे व्यापार का भी विकास होता है।

जल संसाधनों के विकास हेतु प्रयत्न (EFFORTS FOR THE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES)

जल संसाधनों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार ने निम्न तीन संस्थाओं का गठन किया है:

(1) **केन्द्रीय जल आयोग** जल संसाधनों के विकास के लिए केन्द्रीय जल आयोग एक सर्वोच्च तकनीकी संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में सरकार के एक प्रस्ताव से हुई थी। इस आयोग के मुख्य कार्य हैं जल । संसाधन परियोजनाओं के बारे में अन्वेषण करना, इन योजनाओं का तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन करना, । विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिजाइन बनाने तथा बाढ़ नियन्त्रण व पूर्वानुमान में सलाह देना तथा नदी प्रबन्धन । व अनुसन्धान तथा विकास में सहायता करना जिससे कि राष्ट्रीय जल नीति बनाने में सहायता मिल सके। ।

(2) **केन्द्रीय भू-जल बोर्ड यह बोर्ड** एक राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है, जो 1952 में बनाया गया था. लेकिन । 1972 में भारत के भू-गर्भ सर्वेक्षण की भूमिगत जल इकाई (Ground Water Wing) को इसके साथ। मिलाकर इसका पुनर्गठन कर दिया गया। इस बोर्ड का कार्य भूमिगत जल के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करना, सम्भावनाओं का पता लगाना, मूल्यांकन करना व भूमिगत जल की गुणवत्ता व पद्धति का मॉनीटरिंग करना आदि है।

इस बोर्ड का एक अध्यक्ष है तथा दो सदस्य। इस बोर्ड के देश भर में 18 क्षेत्रीय निदेशालय और 17 डिवीजन कार्यालय हैं।

(3) **राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी**–राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी की स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। इसका कार्य नदियों को मिलाकर पानी का सदुपयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाना है जिससे कि पानी के आधिक्य को कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचायाजा सके।

राष्ट्रीय जल नीति

(NATIONAL WATER POLICY)

राष्ट्रीय जल नीति के निर्माण के लिए सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का गठन किया गया जिसकी प्रथम बैठक 30 अक्टूबर, 1985 को प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में हुई थी। इस नीति की स्वीकृति राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् ने सितम्बर 1987 में दी थी। इस नीति की मुख्य बातें निम्न प्रकार थी।

(i) जल राष्ट्रीय सम्पत्तिजल को मूल्यवान राष्ट्रीय सम्पत्ति समझकर नियोजन किया जाना - चाहिए तथा इसका उपयोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। **)2) जल का हस्तान्तरण** इसका अर्थ यह है कि बहुतायत वाले राज्यों का जल कम जल वाले राज्यों को या सूखा वाले राज्यों को दिया जा सकता है। **)3) जल संसाधनों का कुशलता से उपयोग-**भूमिगत जल का उपयोग खेती के लिए हो रहा है जिससे पीने के पानी की समस्या पास वाले गांवों में पैदा हो गई है। राष्ट्रीय जल नीति पानी के संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने पर बल देती है।)4) राष्ट्रीय सम्पत्ति व्यर्थ नष्ट न होनाजल को व्यर्थ जाने से पूर्व बचाने के प्रयास किये जाने चाहिए जिससे कि - राष्ट्रीय सम्पत््ति व्यर्थ नष्ट न हो जाए।

अप्रैल 2002 में नई राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई है जिसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(1) जल राष्ट्रीय परिसम्पत्ति इस नीति में जल को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है।

(2) जल संसाधनों के विकास व प्रबन्धन पर बल—इस नीति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जल संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन पर विशेष बल दिया गया है।

(3) पेयजल को प्राथमिकताइस नीति में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की - सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिंचाई जल व्यवस्था को दूसरा स्थान व जलविद्युत को तीसरा स्थान दिया गया है। चौथा स्थान पारिस्थितिकी को, पांचवां स्थान कृषिउद्योग को व -उद्योग एवं गैर- छठवां स्थान नौकायन एवं अन्य उपयोग को दिया गया है।

(4) प्रभावी कार्यान्वयन इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक घटकों की पहचान की। गहपर्यावरणीय विकासात्-मक घटक, भूमिगत जल, बाढ़ नियन्त्रण, समुद्री क्षरण, परियोजना आयोजना में अन्तर्राष्ट्रीय वितरण व निजी क्षेत्र की सहभागिता।

(5) प्रदूषित जल प्रबन्धन इसमें जल प्रदूषित करने वालों से प्रदूषण लागत वसूल करने की बात कही

गई है।

__(6) कानन बनाना विद्‌यमान जल निकायों को अतिक्रमण से संरक्षित करने एवं जल की गुणवत्ता में। आ रहे ह्रास को रोकने के लिए कानून बनाने की बात भी कही गई है।

वन संसाधन- वन संसाधन प्राकृतिक संसाधनों का एक भाग होता है यहाँ प्राकृतिक ससधानो से अर्थ प्रकृति के उन उपहारों से है जो मानव को प्रकृति द्‌वारा प्रदान किये जाते है. इन उफरोनो में भूमि, जल ,खनिज, वस्तुएं सामुद्रिक वस्तुए जैसे मछली, जलवायु अधि विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल है यह सभी तत्व प्रकृति संसधं की परिभाषा के अंतर्गत आते है.

भारत में वन क्षेत्र

(FOREST AREA IN INDIA)

"भारत 2011' के अनुसार वर्ष 2007 में देश में वन क्षेत्र 69.09 मि. हैक्टेयर है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.02% है। इसमें से 8.35 मि. हैक्टेयर अति सघन वन, 31.09 मि. हैक्टेयर औसत सघन वन और 28.84 मि. हैक्टेयर खुले वन क्षेत्र हैं। देश में राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों का वन क्षेत्र देखें, तो मध्य प्रदेश में 7.77 मि. हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का 11.25% वन क्षेत्र वाला देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसके पश्चात् क्रमशः अरुणाचल प्रदेश (9.75%), छत्तीसगढ़ (8.09%), महाराष्ट्र (7.33%) तथा उड़ीसा (7.0%) का स्थान आता है। 7 पर्वोत्तर राज्यों को देखें, तो इन सातों राज्यों को मिलाकर देश के कुल वन क्षेत्र का एक चौथाई वन क्षेत्र इन सातों राज्यों में है।

भारत का ट्री कवर (घने पेड़ वाला क्षेत्र) क्षेत्र लगभग 92.769 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.82% है। सबसे अधिक ट्री कवर महाराष्ट्र (9,466 वर्ग किमी.) में है। इसके पश्चात् क्रमशः गुजरात (8,390 वर्ग किमी.), राजस्थान (8,274 वर्ग किमी.), तथा उत्तर प्रदेश (7,381 वर्ग किमी.) का स्थान आता है।

भारत में वनों का वर्गीकरण

भारत में वनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है : (1) सरकारी आधार पर, व (II) प्रकृति के। आधार पर

(i) सरकारी आधार पर सरकारी आधार पर वन तीन प्रकार के होते हैं : **(1) आरक्षित वन** (**Reserved Forests**) यह वन सरकारी सम्पत्ति होते हैं तथा ऐसे वनों को बाढ़ों की रोकथाम, रेगिस्तान को रोकने, भूमि। के कटाव को रोकने व देश की जलवायु को उचित बनाये रखने के लिए सुरक्षित रूप में बनाये रखा जाता है। ऐसे वनों का उपयोग बिना सरकारी अनुमति के कोई भी नहीं कर सकता है**। (2) संरक्षित वन (Protected Forests)** यह वन भी सरकारी सम्पत्ति होते हैं, लेकिन इन वनों के उपयोग करने का अधिकार निश्चित शर्तों पर सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों को दे दिया जाता है। **(3) अवर्गीकृत वन (Unclassified Forests)** ऐसे वनों को सरकार कुछ व्यक्तियों को दे देती है जो वनों से लकड़ी काटकर बेचते हैं व पशुओं को चराते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ठेकेदार कहते हैं। इनको कुछ राशि शुल्क के रूप में सरकार को देनी पड़ती है।।

(ii) प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर वन 6 प्रकार के होते हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :

(1) सदाबहार वन (Evergreen Forests) अधिक वर्षा के कारण ही यह वन सदा हरे-भरे रहते हैं। इन वनों में मख्य रूप से वास, ताड़, रबड़, आबनूस, चन्दन, बैत, नारियल, आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

(2) मानसूनी वन (Monsoon Forests) यही वन भारत के बहु मूल्यवन हैं जो कुल वन। क्षत्र के 80 प्रतिशत भाग में पाये जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, आम, शीशम, चन्दन, सेमल व एबीनी। की लकडी पायी जाती हैं जो फर्नीचर व मकान बनाने के काम आती है।

(3) मरुस्थलीय वन (Dry Forests) यह वन उन स्थानों पर पाये जाते हैं जहाँ वर्षा कम होती है। इन वनों में काँटेदार वृक्ष, बबूल, भारत के वनों में खजूर, नीम, आम, बेर व ताड के वृक्ष पाये जाते है। ऐसे वन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भाग, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आदि में पाये जाते हैं।

(4) पर्वतीय वन (Mountain Forests) यह वन पहाड़ों पर पाये जाते हैं जिनमें औषधियों के वक्ष अधिक पाये जाते हैं। भारत में यह बन मुख्यतः हिमालय पहाड़ पर ही पाये जाते हैं। **अल्पाइन वन (Alpine Forests)** भी हिमालय पहाड़ पर ही 9,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर पाये जाते हैं।

(5) नदी तट के वन (Riverine Forests) यह वन नदियों के किनारों पर पाये जाते हैं जो नदियों में बाढ़ आ जाने या पानी फैलने से बन गये हैं। इन वनों में इमली, जामुन, शीशम, खेर, आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

(6) डेल्टाई वन (Delta Forests) यह वन ब्रह्मपुत्र, गंगा व गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में जहाँ समुद्र का पानी ज्वार के समय आ जाता है, पाये। जाते हैं। अत: इनको ज्वार प्रदेश के वन भी कहा जाता है। इन वनों में लकड़ी पायी जाती है जो ईंधन के काम आती है।

वन नीति :- भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनायी जिसके अनुसार वनों की देख-रेख के लिए विकास समिति तथा हर प्रान्त में वन विभागों की स्थापना की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य दो थे—एक तो राजस्व प्राप्ति व दूसरा वनों का संरक्षण। यह नीति स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक चलती रही।

7 दिसम्बर, 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गयी है जिसके तीन लक्ष्य है : (1) पर्यावरण स्थिरता, (2) जीव-जन्तुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की हिफाजत करना व (3) लोगों की बुनियादी। जरूरतें पूरी करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस नवीन वन नीति में निम्न बातें कही गयी हैं : _(i) पहाडी घाटियों व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में जंगलात बढ़ाये जायेंगे। (ii) जंगलों पर आदिवासियों। और गरीबों के पारस्परिक हक बनाये रखे जायेंगे। (iii) वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जायेगा। (iv) वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जायेगा जिससे कि पर्यावरण में सन्तुलन बनाये रखा जा सके। (V) उद्योगों को रियायती दर पर जंगलात के उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगायी जायेगी। (vi) ग्रामीण और। कटार उद्योगों को छोडकर वन पर आधारित उद्योगों को इजाजत नहीं दी जायेगी। उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार निजी वन लगाने चाहिए। (vii) ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के लोगों की बुनियादी आवश्यकताएँ: जस जलावन, चारा, छोटी इमारती लकडी. आदि की पूर्ति को ध्यान में रखा जायेगा।

नियोजन काल में वनों के सम्बन्ध में सरकार की नीति इस प्रकार रही है—(1) वनों की उत्पादकता बढ़ाना, (ii) वन विकास को वनों पर आधारित विभिन्न उद्योगों से सम्बद्ध करना व (iii) वनों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था। की सहायता के रूप में विकास करना।

वन विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये हैं; जैसे वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों को लगाने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, वन अधिकारियों को प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक का विकास, वन यातायात का विकास, आदि।

सरकार ने वन नीति के ही अन्तर्गत वन विकास के लिए निम्न कार्य किये हैं:

भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन–वनों में क्या-क्या वस्तुएँ उपलब्ध हैं उनका पता लगाने के लिए जून 1971 में इस संगठन को स्थापित किया गया है।

वन अनुसन्धान संस्थान की स्थापना-देहरादून में 1906 में वन अनुसन्धान संस्थान स्थापित किया। गया है जिसका मुख्य उद्देश्य वनों से प्राप्त वस्तुओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना एवं वनों के सम्बन्ध में शिक्षा देना है। इस संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र बंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर व बुर्नीहट में

हैं। यह संस्था । वन रक्षकों एवं राज्य सरकारों के वन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है।

काष्ठ-कला प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना राज्य सरकारों के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून में एक काष्ठ कला प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया। गया है। यह संस्था लकड़ी प्राप्त करने के आधुनिक तरीकों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देती है। अब तक यह संस्था 2,500 के लगभग वन अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दे चुकी है।

राज्य वन विकास निगमों की स्थापना राज्यों के द्वारा वनों को ठेके पर उठाया जाता है और फिर टेकेदार वनों से लकड़ी, आदि काटते हैं। गत वर्षों में सरकार की नीति रही है कि प्रत्येक राज्य में वाणिज्यिक(1) **वन महोत्सव**—कृषि मन्त्री के. एम. मुन्शी ने 1950 में 'अधिक वृक्ष लगाओ आन्दोलन' चालू किया था जिसका नाम 'वन महोत्सव' रखा गया। इस आन्दोलन का उद्देश्य मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करना है। यह आन्दोलन अभी चालू है। प्रति वर्ष पूरे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। ।

(2) भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान की स्थापना-1978 में Swedish International Development Agency के सहयोग से 'भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान' नामक एक संस्थान अहमदाबाद में स्थापित किया गया है जिसका कार्य कर्मचारियों को वन संसाधन प्रबन्ध की आधुनिक व्यवसाय सम्बन्धी बातों की जानकारी देना है।

भारतीय वन प्रबन्ध संसाधन, भोपाल की स्थापना केन्द्रीय सरकार ने भोपाल (मध्य प्रदेश) में एक वन प्रबन्ध संस्थान स्थापित किया है। यह संस्थान एशिया में व शायद संसार में प्रथम संस्थान है, जो अनुसन्धान व केस स्टडी के आधार पर पढ़ाने का कार्य करता है। यह विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है तथा 'वन प्रबन्ध' पर स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था कर रहा है।।

(3) वन (संरक्षण) अधिनियम केन्द्रीय सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया है जिसके अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और कारगर बना दिया गया है।

(4) वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना केन्द्रीय सरकार ने वन सर्वेक्षण संगठन स्थापित किया है जिसका कार्य वनों का नियोजित उपयोग, वन संसाधनों का नवीनीकरण व वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना है।

5) राष्ट्रीय वन आयोग–वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी. एन. कृपाल की अध्यक्षता में पहला 7 सदस्यीय राष्ट्रीय वन आयोग 7 फरवरी, 2003 को गठित किया। यह आयोग वनों के संरक्षण, इससे जुड़ी मौजूदा नीतियों एवं वैधानिक ढांचे का अध्ययन, पर्यावरण

सन्तुलन और इसके वैज्ञानिक आर्थिक पक्ष को नई दिशा देने के लिए बनाया गया है। वन मन्त्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक इसके सदस्य सचिव हैं।

खनिज संसाधन

(MINERAL RESOURCES:-

प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों का विशेष महत्व है। इसीलिए विद्वानों का कहना है कि आधुनिक सभ्यता के विकास का आधार खनिज संसाधन हैं। मानव के पैरों के जूतों की पॉलिश से लेकर उसके बालों के तेल तक में किसी-न-किसी रूप में खनिज संसाधनों का उपयोग किया जाता है। विश्व के उन्नत देशों जैसे अमरीका, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, आदि की प्रगति का रहस्य उन देशों में खनिज संसाधनो। की प्रचुरता है। (1) खनिज संसाधन उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हैं; (2) परिवहन संसाधनों का विकास करत है: (3) शक्ति में वृद्धि करते हैं: (4) देश की सुरक्षा में सहयोग देते है: (5) जन-उपयोग के लिए अनेक वस्तुओं के निर्माण में सहयोग देते हैं जिससे जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठता है।

भारत के प्रमुख खनिज पदार्थ

भारत में विभिन्न प्रकार के व बहत-से खनिज पदार्थों का उत्पादन होता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रमुख खनिज पदार्थों को ही ले रहे हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन करेंगे : (1) लोहा (Iron ore), (2) कोयला (Coal), (3) मैंगनीज (Manganese ore), (4) अभ्रक (Mica), (5) ताँबा (Copper), (6) सोना (Gold), (7) बॉक्साइट (Bauxite), (8) सेलखड़ी (Gypsum), (9) पेट्रोलियम (Petroleum), (10) अन्य (Others)|

(1) **लोहा**:- लोहा एक देश के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए इसको आधुनिक जीवन का प्राण माना जाता है। लोहे का उपयोग भवन-निर्माण, मशीनरी-निर्माण, बाँध निर्माण, परिवहन साधनों, आदि सभी में किया जाता है।

भारत में अच्छी किस्म के लोहे के विशाल भण्डार पाये जाते हैं और समझा जाता है कि वे विश्व में सबसे बड़े हैं जो विश्व के एक-चौथाई भण्डारों के लगभग हैं, लेकिन भारत में विश्व के कुल उत्पादन का केवल 4% के लगभग ही उत्पादन होता है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 1,463 करोड़ टन के लौह अयस्क भण्डार हैं। अच्छे किस्म का लोहा मुख्य रूप से झारखण्ड के सिंहभूम जिले में छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बस्तर व चाँदा जिलों में उडीसा के मयूरभंज और क्योंझर जिलों में; महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में तमिलनाड के तिरुचिरापल्ली व सलेम जिलों में, व कर्नाटक के शिमोगा जिले में एवं गोआ में पाया जाता है।

देश में कुल कच्चे लोहे के उत्पादन का 56 प्रतिशत भाग उड़ीसा व झारखण्ड की खानों से, 27 प्रतिशत मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की खानों से तथा शेष 17 प्रतिशत अन्य खानों से निकाला जाता है। भारत से

कच्चे लोहे का निर्यात राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के माध्यम से किया जाता है जिसकी स्थापना 19581 में की गयी है। वर्ष 2009-10 में 226.008 मि. टन लौह खनिज का उत्पादन किया गया।

(2) कोयला :– संसाधनों की दृष्टि से भारत में सभी खनिज संसाधनों में कोयले का उच्च स्थान है। कोयला उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। वर्तमान शक्ति साधनों में कोयला सबसे अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय खनिज पदार्थ है जो औद्योगिक क्रान्ति के लिए महत्वपूर्ण शक्ति है और दिश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान 67 प्रतिशत है। यह घरेलू ईंधन के लिए भी अच्छा है। इससे कई रासायनिक पदार्थ जैसे तेल, बेंजाल, नेफ्था, आदि मिलते हैं। इससे बिजली के बटनों का निर्माण होता है। इससे कोलतार भी बनाया जाता है। इससे डायल भी बनाया जा सकता है जिससे अमोनिया द्रव निकलता है जो खाद बनाने वाले कारखानों के काम आता है।

विश्व के कुल कोयला भण्डार की दृष्टि से भारत में कोयला भण्डार अधिक नहीं हैं। इस समय देश में 264.54 अरब टन कोयले के सुरक्षित भण्डार हैं। जिसका 29 प्रतिशत झारखण्ड में, 25 प्रतिशत उड़ीसा में, 24 प्रतिशत मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में व 11 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में हैं। इस प्रकार 89 प्रतिशत भण्डार इन पांच राज्यों में स्थित है। यह मात्रा 350 से 400 वर्षों तक के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर 2 प्रतिशत कोयला अच्छा, 7 प्रतिशत मध्यम व 91 प्रतिशत घटिया किस्म का है।

मैंगनीज :— मैंगनीज एक धातु है जो भूरे रंग की एवं कड़ी होती है तथा कठिनाई से पिघलती है। इसका अधिकतर उपयोग ढलवा लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यह डाई । बैटरी, वार्निश, फर्श के टाइल, मिट्टी के बर्तन व प्लास्टिक बनाने के काम भी आती है। इसकी आवश्यकता रेल के डिब्बे, हवाई जहाज व पानी के जहाज बनाने में भी पड़ती है। भारत में मैंगनीज के भण्डार 37.9 करोड़ टन के हैं, जबकि सम्पूर्ण विश्व में 6,100 लाख टन के। यहाँ की मैंगनीज में शुद्ध धातु 50 प्रतिशत है, जबकि रूस की मैंगनीज में 45 प्रतिशत।

अभ्रक :- अभ्रक का उपयोग बिजली उद्योग में व्यापक रूप से होता है। इसको रेडियो व वायरलैस का निर्माण करने में, लालटेन में चिमनियों में, चश्मों में, चूल्हों में, वार्निश, प्लास्टिक व रबड़ के उद्योगों में, मोटर व इन्जीनियरिंग के कार्यों में काम में लाया जाता है। भारत में होली उत्सव के अवसर पर रंग में चमक लाने के लिए गुलाल में इसको मिलाते हैं।

_ भारत का अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में जितना अभ्रक उत्पादित होता है उसका 60 प्रतिशत उत्पादन भारत में ही होता है। भारत के बाद ब्राजील का दूसरा स्थान है। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखण्ड के हजारीबाग व बिहार के मुंगेर जिलों में, राजस्थान में अजमेर, मारवाड़, उदयपुर व जयपुर जिलों में व आन्ध्र प्रदेश के तेल्लोर व गोदावरी जिलों में पाया जाता है। अभ्रक की कुछ मात्रा केरल, कर्नाटक व उड़ीसा में भी मिलती है।

ताँबा :- यह चमकीली गुलाबी रंग की धातु होती है जो देखने में हल्के लाल रंग की तरह दिखायी। देती है। इसका सर्वाधिक उपयोग विद्यत उपकरणों में किया जाता है। विद्युत के तार इसी धातु से या इसी।

धातु के मिश्रण से बने होते हैं। मोटर, जेनरेटर, विद्युत् रेल इंजन, तार एवं केबिल, बल्ब का साकेट, रेडियो प्रसारण, टेलीफोन व टेलीग्राम, रेफ्रीजरेटर, आदि सभी में इस धातु की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, घरेलू बर्तन, घड़ियां, तेल के बर्नर, विस्फोटक गोलियाँ, पिन, आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे नीला थोथा (Copper sulphate) बनाया जाता है जो तालाबों की सफाई करने, छपाई करने, लकड़ी की सुरक्षा करने एवं वृक्षों में छिड़काव के काम आता है।

भारत में ताँबे के भण्डार 71.252 करोड टन के बताये जाते हैं जो मुख्य रूप से राजस्थान (खेतडी और सिंघाना के पास), झारखण्ड (सिंहभम व हजारीबाग जिलों में), मध्य प्रदेश (बालाघाट जिले में) तथा आन्ध्र प्रदेश (अग्नि गण्ठला जिले) में हैं। इनके अतिरिक्त, पंजाब में काँगड़ा, उत्तराखण्ड में गढ़वाल व अल्मोड़ा, कर्नाटक में चित्रदर्ग व हसन, तमिलनाडु में नैल्लोर व पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिलों में भी ताँबे की खाने हैं।

सोना :- सोना एक बहु मूल्यधातु है जिसका उपयोग औषधियाँ बनाने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी, काँच की चूड़ी को चमकीला करने व आभूषणों के बनाने में किया जाता है। इस समय स्वर्ण अयस्क के कुल भण्डार 224 लाख टन अनुमानित हैं जिनमें 116 टन सोना है।

इसकी खाने कर्नाटक राज्य में बंगलुरु से 64 किलोमीटर पूरब में कोलार व तमिलनाडु में विश्वनाथ रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर नारायन नगर के पास हैं। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य में भी कुन्दूकोचा। नामक स्थान पर व आन्ध्र प्रदेश में रामगिरि नामक स्थान पर सोने की खानों का पता लगा है। कर्नाटक की कोलार खानों से कुल उत्पादन का 97 प्रतिशत सोना प्राप्त होता है।

भारत में सोने का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है। 1961 में 4,960 किलोग्राम सोने का उत्पादन हुआ, जबकि 2009-10 में 1,788 किलोग्राम सोने का उत्पादन हुआ है। भारत में सोने की माँग उसके उत्पादन से कहीं अधिक है, अतः उसका आयात किया जाता है।

बॉक्साइट :- यह एक धातु है जो मिट्टी के रंग की होती है। इसमें धातु की मात्रा 50 से लेकर 55 प्रतिशत तक होती है। यह ऐलुमिनियम बनाने के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसके अतिरिक्त, इसको सीमेण्ट बनाने, पत्थर को काटने व घिसने के काम में लाया जाता है। इसका प्रयोग विद्यतीकरण व आन्तरिक खोज में भी किया जाता है।

भारत में कुल बॉक्साइट भण्डार 329 करोड़ टन के बताये जाते हैं। बॉक्साइट के प्रतिबंधित भण्डार अनुमानित 5.9 लाख टन हैं। बॉक्साइट मुख्य रूप से उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र

और झारखण्ड में पाया जाता है। उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी तटों पर बॉक्साइट के विशाल भण्डार मौजद हैं। अभी हाल ही में पूर्वी तट पर उच्च श्रेणी के विशाल बॉक्साइट भण्डार मिले हैं जिससे भारत बॉक्साइट भण्डार के मामले में विश्व में पाँचवें स्थान पर आ गया है। 2009-10 में बॉक्साइट का उत्पादन 13.056 हजार टन हुआ है।

सेलखड़ी :-यह भी एक खनिज पदार्थ है जो भूमि पर तहों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग । विशेष रूप से सीमेण्ट बनाने में किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त यह खनिज कृषि-खाद, खड़िया मिट्टी, सल्फ्यूरिक अम्ल व अमोनियम सल्फेट, आदि के बनाने में भी काम में लिया जाता है।

भारत में इसके 23.8 करोड़ टन के भण्डार पाये जाते हैं जिसमें से सर्वाधिक भण्डार तो अकेले राजस्थान में ही हैं। शेष जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश में हैं। 1951 में इसका उत्पादन 2 लाख टन था जो बढ़कर 1971 में 10.9 लाख टन हो गया जो वर्तमान में 32.5 लाख । टन पहुंच गया है। इसके उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि सीमेण्ट उत्पादन बढ़ाया जा सके और सीमेण्ट की मांग को पूरा किया जा सके।

पेटोलियम :- आज के युग में पेटोलियम या खनिज तेल एक देश के लिए परम आवश्यक है। इससे औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है। प्रतिरक्षा होती है। परिवहन साधनों का विकास होता है। बहुत-से उद्योग-धन्ये इसी पर आधारित हैं। यह मोटर, हवाई जहाज, मशीने, आदि के चलाने के काम आता है।

भारत में पेट्रोलियम के भण्डार 10.36 लाख वर्ग किलोमीटर में बताये जाते हैं। एक दूसरे अनुमान के अनुसार भारत में कुल खनिज तेल भण्डार 13 करोड़ टन के हैं। यह भण्डार असोम, गुजरात, नाहरकटिया, खम्भात, अंकलेश्वर, डिगबोई, सुरमाघाटी, कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, बंगाल की खाड़ी, बॉम्बे हाई, आदि में पाये जाते हैं।

राष्ट्रीय खनिज नीति

आजादी के बाद 1948 में सर्वप्रथम खान एवं खनिज नियमन एवं विकास अधिनियम पारित किया गया और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन तथा उसके बाद भारतीय खनिज संस्थान - की स्थापना की गयी। सबसे पहली खनिज नीति 1952 में प्रस्तुत की गयी। उसके बाद 1990 तथा 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीतियों की घोषणा की गई। राष्ट्रीय खनिज नीति)1993)

आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत सरकार ने 1990 की घोषित खनिज नीति में अनेक आधारभूत परिवर्तन करते हुए 5 मार्च, 1993 को राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की। इस नीति में केन्द्रीय सरकार ने खनिज क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया। इस संशोधित खनिज नीति की मुख्य विशेषताएं थीं।

का विदेशी कम्पनियों को भारत में काम करने की छूटसंशो-धित नीति में खनन कार्यों में कार्य कर रही भारतीय कम्पनियों के लिए विदेशी इक्विटी सीमा 50% कर दी गयी और दुर्लभ खनिजों की खोज एवं उत्खनन के क्षेत्र में इस विदेशी भागीदारी को अधिक करने का भी प्रावधान रखा गया। इस नीति के अन्तर्गत समुद्र की तलहटी से खनिज निकालने, खनिज उद्योगों के विकास आदि के क्षेत्रों में निजी और विदेशी कम्पनियों को भारत में काम करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

(2) निजी क्षेत्र का विस्तारखनिज नीति में भी केन्द्रीय सरकार ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते - हुए13 खनिजों को निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए पूर्ण प्रतिबन्ध मुक्त कर दिया। ये क्षेत्र है जोहा, गन्धक, क्रोम, स्वर्ण, हीरा, तांबासीसा ., मैगनीज, टंगस्टन, निकिल, जस्ता, मोलीव्हेनम एवं प्लेटिनम समूह के खनिज।।

(3) विदेशी विकसित उत्खनन तकनीक का प्रयोग देश के छोटे किन्तु उपयोगी खनिज भण्डारी के व्यावसायिक विदोहन की दृष्टि से अब विदेशी उन्नत उत्खनन तकनीक का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र में अनसंधान व उत्खनन के प्रयास किये जायेंगे। इस विदेशी तकनीक का प्रयोग कम लागत पर अधिक उत्खनन के उद्देश्य पर आधारित होगा।

राष्ट्रीय खनिज नीति 2008

योजना आयोग द्वारा गठित होदा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुये केन्द्रीय सरकार ने 2008 में एक नयी राष्ट्रीय खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है:

(1) खानों से खनिज निकालने के लिये अति आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना, (2) खनन क्षेत्र में निवेश के लिये पूजी बाजार के ढांचे का विकास करना, (3) खनन में शून्य वर्वादी, (4) खनन क्षेत्र में रियायत देने में पारदर्शिता का पालन, (5) स्थतन्त्र खनन प्रशासन, (6) जैवविविधता जैसे - विषयों का ध्यान रखने के लिये टिकाऊ विकास की रूपरेखा तैयार करना।